संख्या:19/2020/116 ई-2/तेरह-2020-74/2016

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2020

विषय:-मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि. (आसवनी), जनपद बरेली में पूर्व से स्थापित 40 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ई.एन.ए. प्लान्ट को 67 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट में परिवर्तन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-97/दो-प्रा.डी.-03/सुपीरियर, दिनांक 14 जनवरी, 2020 एवं पत्र संख्या-जी-87/दो-प्रा.डी.-03/सुपीरियर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त दिनांकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि. (आसवनी), जनपद बरेली में पूर्व से स्थापित 40 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ई.एन.ए. प्लान्ट को 67 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट में परिवर्तन किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा क्षमता वृद्धि के क्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथावश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।